न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183/2011/225 (2011/00047)

1. श्रीमती रूकमा बेवा मोबानाथ जोगी, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
2. शैतान पुत्र मोबानाथ,
3. पारस पुत्री मोबानाथ,
4. ज्ञाना पुत्री मोबानाथ,
   अपीलाट संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती रूकमा, समस्त निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रूपानाथ पुत्र धन्नानाथ जोगी,
2. संतोखनाथ पुत्र गबूरनाथ,
3. श्रीमती रामप्यारी बेवा धन्नानाथ (फौत)
4. चम्पानाथ पुत्र धन्नानाथ,
5. पारसनाथ पुत्र धन्ननाथ,
6. जसोदा पुत्री धन्नानाथ,
7. गीता पुत्री धन्नानाथ,
8. सीता पुत्र धन्नानाथ (फौत)
9. उगमी बेवा नानू नाथ,
10. सूरज पुत्र लक्ष्मण नाथ,
11. करमा पुत्र लक्ष्मणनाथ,
12. धरमा पुत्र लक्ष्मणनाथ,
13. कमला बेवा लक्ष्मणनाथ,
14. जीवणनाथ पुत्र नानूनाथ,
15. रतननाथ पुत्र नानूनाथ,
16. बाला पुत्री नानूनाथ,
17. भंवरी बेवा गबूरनाथ,
18. सीता पुत्री गबूरनाथ,
19. गीता पुत्री गबूरनाथ,
    सभी निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 28.3.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 137/1997.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री हगामीलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 स्वंय उपस्थित ।
3. रेस्पोडेटस संख्या 2 लगायत 18 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 20.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 28.3.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4, 4, (4)9 जा0दी0 सपठित धारा 5 मियाद अधि0 पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.3.2011 को आदेश पारित कर वादी का अबैट होने के आधार पर खारिज करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश जाप्ता दीवानी के आदेश 22 नियम 4 (4), 9 एवं धारा 5 मियाद अधि0 के प्रावधानों एवं मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधिक दृष्टांत 2004 (3) डी.एन.जे. पेज 1406 एवं 2006 (3) डी.एन.जे. पेज 1281 में प्रतिपादित सिद्धातों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लिये गये तथ्यों का एवं मृतक नानूनाथ द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति जवाबदावे का अपने आदेश में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर आदेश 22 नियम 4 (4), 9 जा0दी0 के विधिक प्रावधानों का विवेचन व विश्लेषण नहीं कर वाद में लिये गये अभिवचनों अनुसार वाद में निहित विधिक सारवान प्रश्न का न्यायोचित एवं विधिवत् निस्तारण नहीं कर पक्षकारान के अधिकारों का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं कर प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए वाद अबेट होना मानकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । पक्षकारान ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति होकर विधिक प्रावधानों से अनभिज्ञ होने के कारण अपीलांट/वादी के अभिभाषक द्वारा दी गई सूचना अनुसार विधिक प्रावधानों की जानकारी होने एवं अपने काश्त पेशा में बाहर होने से समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष वारिसान कार्यवाही नहीं करने से उपरोक्त कारण युक्तियुक्त एवं पर्याप्त होते हुए एवं वाद में सारवान प्रश्न निहित होने से वाद को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित होते हुए भी अधी0न्याया0 ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 4 (4) सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि उक्त अपील में रेस्पो0 संख्या 3 रामप्यारी बेवा धन्ननाथ फौत हो गई है जिसके वारिस लड़किया अपील में बतौर रेस्पो0 पक्षकार है । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 8 सीता पुत्री धन्नानाथ भी फौत हो गयी है जिनके पिता धन्नानाथ द्वारा अधी0न्याया0 में वादी को स्वीकार करने का जवाबदावा प्रस्तुत किया है लिहाजा मृतक सीता के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है । अतः मृतक सीता का नाम रिकार्ड से हटाया जावे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक रामप्यारी एवं मृतक सीता का नाम रिकार्ड से हटाये जाने के आदेश प्रदान करे ।
6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 4

(4) सपठित धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। रेस्पो0 संख्या 3 रामप्यारी बेवा धन्नानाथ फौत हो गई है जिसके वारिस लड़के, लडंकियां अपील में बतौर रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 पहले से ही बतौर पक्षकार रेस्पो0 नियुक्त है । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 7 श्रीमती सीता पुत्री धन्नानाथ भी फौत हो चुकी है । ऐसी स्थिति में श्रीमती रामप्यारी के वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर होने से रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती रामप्यारी का नाम तर्क किया जाना उचित प्रतीत होता है । श्रीमती सीता के पिता धन्नानाथ द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा पेश कर विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने का कथन कर राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी होने का कथन किया है तथा इसे दुरूस्त कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जावे तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है । उक्त जवाबदावा से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज किये जाने में धन्नानाथ को ऐतराज नहीं था । ऐसी स्थिति में धन्नानाथ की पुत्री रेस्पो0 संख्या 7 की मृत्यु होने पर उसका नाम विलोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 4 (4) सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपील में रेस्पो0 संख्या 3 रामप्यारी बेवा धन्नानाथ एवं रेस्पो0 संख्या 7 श्रीमती सीता पुत्री धन्नानाथ का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट मोबानाथ ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 4 (4), 9 जा0दी0 सपठित धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया था कि प्रतिवादी नानूनाथ, प्रेमनाथ का करीब एक वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है । मृतक नानूनाथ के वारिस उगमी बेवा नानूनाथ, सूरज, करमा, धरमा पुत्रगण लक्ष्मणनाथ, कमला बेवा लक्ष्मणनाथ, जीवननाथ एवं रतननाथ पुत्रगण नानूनाथ एवं बाला पुत्री नानूनाथ है । प्रतिवादी नानूनाथ ने वादी के वाद को स्वीकारोक्ति का जवाब दावा अपने जीवनकाल में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था लिहाजा कानूनन मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लाने से छूट दिया जाना न्यायाचित है । वादी अपनढ़ काश्तकार है और वारिसान अभिलेख पर लाने संबंधी जानकारी नहीं होने से पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका, दिनांक 13.7.2005 को जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लेते हुए विकल्प में अभिलेख पर लेने की छूट प्रदान करते हुए अबेटमेंट कार्यवाही निरस्त करते हुए वाद में अंग्रिम कार्यवाही की जावे। अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.3.2011 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 व 4 (4), 9 सपठित धारा 5 मियाद अधि0 खारिज कर वादी का वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि अपीलांट ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसे विधिक प्रावधानों की जानकारी नहीं होती है । हस्तगत प्रकरण में सारवान प्रश्न निहित होने से अधी0न्याया0 को वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 598, 723, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 942 हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । हम न्यायहित में वाद का गुणावगुण पर परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । अधी0न्याया0 ने तकनीकी आधार पर संपूर्ण वाद को अबेटमेंट के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य

तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2011 निरस्त किया जाता है तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 व 4 (4) सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक प्रतिवादीगण नानूनाथ, प्रेमनाथ के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.8.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर